निगरानी / टी.ए. / 3110 / 2000 / गंगानगर
सही राम के वारिसान बनाम सोना सिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक प्रार्थी श्री पूर्णा शंकर दशोरा अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांक :1.10.19** यह निगरानी अन्तर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 31.7.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– दिनांक 31–5–16 को अभिभाषक सहीराम की ओर से एक प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सहीराम पुत्र अमराराम का दिनांक 29–12–2009 को देहान्त हो चुका है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थनापत्र में वर्णित कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया जावे। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक के आधार पर मृतक सहीराम के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया जाता है। 3–निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार प्रार्थी को निगरानी मीमों में वर्णित विवादित आराजी कुल रकबा 11.10 बीघा भूमि दिनांक 30–5–77 को उपायुक्त उपनिवेशन श्री विजय नगर द्वारा आवंटित की गयी जिसका कब्जा प्रार्थी को नियमानुसार दिया गया, जिसकी अन्तिम किश्त मय ब्याज राशि भी जमा करवाई गयी। यह कि अप्रार्थी संख्या एक को भी दिनांक 29–7–77 द्वारा विवादित आराजी कुल रकबा 17.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। प्रार्थी ने आदेश 29–7–77 के विरुद्ध केवल चक 7 एलपीएम के मु0नं0 279 / 360 के किला नम्बर 23 ता 25 रकबा 3बीघा की हद तक प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष अपील पेश की। जिन्होने अपने आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31–7–2000 द्वारा अपील को मियाद बाहर मान कर निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4– इस न्यायालय द्वारा आवंटन अधिकारी की पत्रावली तलब की गयी थी जो दिनांक 24–5–08 / 11–3–13 से अन उपलब्ध होना जाहिर है। अतः मौजूद अभिलेख से उभयपक्षों की सहमति के बाद बहस सुनी गयी। 5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर पारित किया गया है। यह कि विवादास्पद भूमि प्रार्थी को दिनांक 30–5–77 को उपायुक्त उपनिवेशन श्री विजय नगर द्वारा आवंटित की गयी थी। इसके बाद भूमि अप्रार्थी संख्या एक को आदेश दिनांक 29–7–77 को आवंटित कर दी गयी। यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादास्पद भूमि को अप्रार्थी सख्या एक को आवंटन से पूर्व भूमि प्रार्थी को आवंटित थी। वरवक्त आदेश दिनांक 29–7–77 प्रार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया तथा ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। यह महत्वपूर्ण बिन्दु विद्वान राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु उनके द्वारा नजरअन्दाज कर दिया गया। ऐसी स्थिति में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर उपायुक्त उप निवेशन का आदेश दिनांक 29–7–77 व राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2000 विवादास्पद भूमि की हद तक निरस्त करने का निवेदन किया। 6– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या एक को आदेश दिनांक 29–7–77 को भूमि आवंटित की गयी थी जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील / पुनरावलोकन को राजस्व अपील प्राधिकारी ने खारिज कर दिया है। चूँकि अपीलीय न्यायालय में अपील / पुनरावलोकन मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी थी । दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है। निगरानी का सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए। इतने लम्बे समय के बाद आवंटन आदेश को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त नही किया जाना चाहिए। अपने तर्को के समर्थन में 2000 आरआरडी पेज 557,1990 आरआरडी पेज 545, 2007 आरबीजे पेज 438 एस, 2010 आरबीजे पेज 289 (एचसी) 2009 डीएनजे पेज 215 (एचसी), 2007 डीएन जे (प्रथम) राज. पेज 215 (एचसी) , 2009 आरआरटी (।।) पेज 994, 1999 आरआरडी पेज 152 (एचसी) , 2000 आरआरडी पेज 547, 1995 आरबीजे पेज 780, 2007 आरएलडब्ल्यू (2) (राज.) पेज 1295, 1996 आरआरडी पेज 500 एवं 2003 आरआरटी (2) पेज 921 को उद्धरित कर निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया गया। 7— उभय पक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक को आदेश दिनांक 29—7—77 को आवंटित भूमि के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अत्याधिक देरी से तकरीवन 22 वर्ष 3 माह की देरी से पेश की गयी है। अप्रार्थी संख्या एक को डबल आवंटन होना जाहिर नही है। क्योंकि पूर्व का आवंटन निरस्त कर ही अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन हुआ है। आवंटन अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निर्णय है। निगरानी का सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में कोई त्रुटि नही होने से निगरानी के माध्यम से हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। चूँकि इतने लम्बे समय के बाद आवंटन आदेश को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निरस्त नही किया जाना चाहिए। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपरोक्त प्रस्तुत कानूनी नजीरें हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होती हैं। फलस्वरुप हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—7—2000 एवं आवंटन आदेश दिनांक 29—7—77 की पुष्टि की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए. / 3110 / 2000 / गंगानगर

सही राम के वारिसान बनाम सोना सिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए